

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
Website- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in E-Mail- caodlb@gmail.com Tel/Fax No.- 0141-2223074
क्रमांक : प.6(ट)(301)लेखा//DLB/SBM/2015-16/ 4642 दिनांक : 13.6.16

:स्वीकृति आदेश:

विषय : वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगमों को प्रथम आवंटन।
महोदय,

निर्देशानुसार संलग्न सूची के अनुसार राज्य के नगर निगमों को वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालयों हेतु प्रथम आवंटन के रूप में राशि रुपये 233.30 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ तैतीस लाख तीस हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	BE वर्ष 2016-17	इस स्वीकृति पर व्यय राशि
1	2	3
मांग संख्या - 29		
2217 - शहरी विकास		
80 - सामान्य		
191 - नगर निगमों को सहायता		
(36) - स्वच्छ भारत मिशन		
[01] - स्वच्छ भारत मिशन		
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना) -	7564.05	160.25
मांग संख्या - 51		
[02] - स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिये)		
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना) -	1963.41	41.60
मांग संख्या - 30		
[03] - स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जन जातियों के लिये)		
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना) -	1484.40	31.45
कुल योग राशि	11011.86	233.30

आवंटित राशि का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे। किसी भी स्थिति में अन्य गतिविधियों में उपयोग नहीं किया जावे। इस हेतु पृथक से लेखांकन सुनिश्चित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।


राशि निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा सम्बन्धित नगर निगमों एवं विभाग के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जावेगी। इस स्वीकृति के लिये वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक 171600550 दिनांक 01.06.2016 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(301)लेखा//DLB/ SBM/2015-16/ 4643-93 दिनांक : 12-6-16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, (आयोजना) राज0 जयपुर।
04. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर निगमों को स्वीकृत अनुदान राशि उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें।
06. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3)/(आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
09. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
11. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय को भेजकर लेख है कि आवंटित राशि का उपयोग सभी निकायों द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं मॉनेटरिंग की जावे। पत्रावली समय पर प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की जावे।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/जोधपुर शहर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर शहर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित निकायों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावे तथा निर्धारित फार्म में लेखे महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवम् हक) के डी0 डी0 प्रथम अनुभाग में भिजवाने की व्यवस्था करावे।
16. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस स्वीकृति के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि का निकाय के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
18. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी (आयोजना/आयोजना मिन्)/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रभारी आई.एफ.एम.एस., निदेशालय।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
20. प्रभारी ई-गवर्नेंस/सचिव, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
21. सुरक्षित पत्रावली।


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

224

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों हेतु नगर निगमों को वर्ष 2016-17 में आवंटन की प्रथम किस्त

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नगर निगम	सामुदायिक शौचालय की संख्या	मॉग संख्या 29	मॉग संख्या 51	मॉग संख्या 30	योग (4+5+6)
			2217-80-191- (36)-[01]- 12-प्लान	2217-80-191- (36)-[02]- 12-प्लान	2217-80-191- (36)-[03]- 12-प्लान	
1	2	3	4	5	6	7
	कोष कार्यालय, जयपुर शहर (1108)					
1	जयपुर	200	47.63	12.37	9.33	69.33
	कोष कार्यालय, जोधपुर शहर (1117)					
2	जोधपुर	50	11.90	3.09	2.34	17.33
	कोष कार्यालय, कोटा (1118)					
3	कोटा	150	35.73	9.27	7.01	52.01
	कोष कार्यालय, अजमेर (1091)					
4	अजमेर	123	29.29	7.60	5.75	42.64
	कोष कार्यालय, बीकानेर (1099)					
5	बीकानेर	50	11.90	3.09	2.34	17.33
	कोषकार्यालय, उदयपुर (1128)					
6	उदयपुर	50	11.90	3.09	2.34	17.33
	कोषकार्यालय, भरतपुर (1097)					
7	भरतपुर	50	11.90	3.09	2.34	17.33
	योग	673	160.25	41.60	31.45	233.30

(अक्षरे रूपये दो करोड़ तैतीस लाख तीस हजार मात्र)

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(357)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2015/
कोषाधिकारी,

दिनांक 16.06.2016

जयपुर (शहर)/जोधपुर (शहर)/बीकानेर/
कोटा/अजमेर/उदयपुर (शहर)/भरतपुर।

(स्वीकृति संख्या 94 /2016-17)

विषय : स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति क्रमांक : प.6(ट)(301)लेखा/डीएलबी/SBM/2015-16/4642-4693 दिनांक: 13.06.2016 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार संबंधित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 233.30 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ तैतीस लाख तीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगम को सहायता

(36) - स्वच्छ भारत मिशन

[01]- स्वच्छ भारत मिशन ,

12 -सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

राशि रुपये 160.25 लाख

मांग संख्या - 51

[02]- स्वच्छ भारत मिशन (अनूसूचित जातियों के लिये)

12 -सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

राशि रुपये 41.60 लाख

मांग संख्या - 30

[03]- स्वच्छ भारत मिशन (अनूसूचित जन जातियों के लिये)

12 -सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

राशि रुपये 31.45 लाख

कुल

राशि रुपये 233.30 लाख

भवदीय

(जसवन्त सिंह)
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-1 राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
06. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. System Analyst (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)